तथ्यों को जानें-II

प्रिय निवेशक,

पिछले कुछ सालों से, निवेशकों के हितों के लिए नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने ऑन-लाइन ट्रेडिंग, सैटलमेन्ट गारंटी, इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग, डेरीवेटिव्स इत्यादि की शुरूआत की है। अपने अनुभवों के आधार पर निवेशक के हित की रक्षा में मदद करने हेतु, हम निवेशकों को कुछ बातें बताना चाहेंगे, जिन बातों का निवेशकों को अनुकरण करना चाहिए। ये सलाहें आपके शिकायतों को कम करने और एक्सचेंज में किए जाने वाले सौदों के लिए एनएसई द्वारा दी जाने वाली निवेशक रक्षा निधि (इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड) के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराने में काफी सहायक सिद्ध होंगे।

ट्रेडिंग के लिए सुरक्षा के निर्देश :

- इस बात का ध्यान रखें कि, आपके द्वारा की गई सौदे की पेआउट तिथि निकलने के एक दिन के अंदर ही आपको ब्रोकर से पेमेन्ट/डिलीवरी मिल जानी चाहिए।
- इस बात का ध्यान रखें कि, आप किसी अन्य की जगह पर सौदा न करें या अपने नाम पर ट्रेड करने के बाद परिवार के सदस्यों/दोस्तों के बैंक अकांउट से चेक जारी न करें।
- इसी तरह से डीमैट डिलीवरी स्लिप भी आपके अपने डीमैट अकांउट से ही होनी चाहिए न कि आपके परिवार के सदस्य/दोस्त के अकांउट से।
- सिक्युरिटी पे-इन वैधानिक प्रक्रिया के लिए ब्लैंक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (स) पर हस्ताक्षर न करें।
- कभी भी अहस्ताक्षरित/डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट स्वीकार न करें।
- कभी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कॉन्ट्रैक्ट नोट स्वीकार न करें।
- ब्रोकर को प्रतिभूति का भुगतान/डिलीवरी देने में देर न करें।
- कोई भी त्रुटि या मतभेद होने पर उसे तुरंत लिखित में ब्रोकर के ध्यान में लाएँ (ब्रोकर से मोहर लगवाएँ) और उसे जल्दी ही ठीक करवा लें।
- उप-ब्रोकर के साथ मतभेद होने पर, प्रमुख ब्रोकर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी लिखित जानकारी दें और किसी भी हाल में 6 महीने से ज्यादा की देर न करें।
- यदि आपका ब्रोकर/उप-ब्रोकर आपकी शिकायतों को काफी समय तक (मान लो 15 दिनों तक) नहीं दूर करता, तो एनएस ई के 'निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ' के ध्यान में लाइए। आप NSE की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर लॉगऑन करके शिकायत के प्रारूप और उसे NSE को प्रस्तुत करने का तरीका जानने के लिए उसके URL : www.nseindia.com/content/assist/asst_invcentre.htm पर जा सकते हैं।
- एनएसई के 'निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ' में शिकायत दर्ज करवाते समय शिकायत के साथ कॉन्ट्रैक्ट नोट, शेयरों आदि के पेमेन्ट/डिलीवरी के सबूत जैसे आवश्यक दस्तावेजों की प्रति दाखिल करवानी महत्वपूर्ण है। याद रखिए कि, योग्य दस्तावेजों के अभाव में शिकायतों को सुलझाना कठिन है।
- कोई भी सौदा करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज/सेबी द्वारा जारी कानूनों, नियमों और विज्ञापन पत्रों के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें।
- लुभावने विज्ञापनों, मार्केट की अफवाहों या अँधेरे में रखने वाले सौदों से भ्रमित न हों।

''प्रतिभूति बाज़ार में संभावित अवांछनीय ट्रेडिंग गतिविधियों के बारे में निवेशकों द्वारा दी जाने वाली जानकारी की महत्ता को समझते हुए, एक्सचेंज ने टोल फ्री टेलीफोन की सुविधा प्रदान की है जहाँ पर निवेशक हिन्दी या इंग्लिश में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सचेंज निवेशकों की संपूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।''
टोल फ्री टेलीफोन नंबर - 1800 22 0051

ये दिशानिर्देश आपके हित के लिए हैं, इन पर अमल करें

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
''एक्सचेंज प्लाज़ा'', बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051.
टेलीफोन : 022-26598100-8114, फैक्स : 022-26598120, ई-मेल : cc_nse@nse.co.in
हमारी वेबसाइट पर विज़िट करें : www.nseindia.com
एनएसई द्वारा जनहित में जारी.

CORNERSTONE/GFII